तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
22.01.2025	पत्रावली आज पेशी में ली गई। राजपैरोकार व प्रतिवादी अधिवक्ता हाजिर। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी भूमिस्वामी/भूमिधारक है तथा वादी को वादग्रस्त भूमि पर हर प्रकार की विधिक शक्तियां प्राप्त है। प्रतिवादीगण के नाम चक 12 टीके तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 12 पं.नं. 206/300 के कि.नं. 13/2/0.127, 14 ता 17 की 1.012, 18/1/0. 126, 21 ता 25 की 1.265 कुल 2.530 है. नहरी भूमि है। वादग्रस्त भूमि का वादी भूस्वामी है तथा राजस्थान टिनेन्सी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिवादी को उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए है जिसके तहत प्रतिवादी को उक्त कृषि भूमि पर वादग्रस्त भूमि पर कृषि एवं कृषि से संबंधति कार्य करने के विस्तृत अधिकार मिले है। प्रतिवादीगण द्वारा उपरोक्त वादग्रस्त भूमि पर कृषि कार्य ना करते हुए अकृषि कार्य किया जा रहा है और इसे आवासीय/व्यवसायिक/ वाणिज्यिक रूप में प्रयोग किया जा रहा है व मौका पर मकान/दुकान/उद्योग बना/ चला रखे है प्रतिवादी का यह कृत्य विधि विरूद्व है। वादी के द्वारा जन कल्याणकारी उद्देश्य के तहत भरपुर खद्यान्न उत्पन्न करने हेतु ज्यादा से ज्यादा कृषि योग्य भूमि पर कृषि कार्य करने हेतु भूमि पर खातेदारी अधिकार दिये गये है ताकि आमजन को भरपुर खाद्यान्न मिल सके तथा ज्यादा से ज्यादा कृषि उपज हो सके इसी उदेश्य के तहत प्रतिवादी को भी वादग्रस्त भूमि पर कृषि एवं उससें संबंधित कार्य करने हेतु खातेदारी अधिकार दिये थे और इसी अधिकार को प्रदान करते प्रतिवादी एवं वादी के मध्य विधि के तहत कृषि कार्य करने हेतु शर्त भी तय हुई थी जिनकी पालना प्रतिवादीगण द्वारा नहीं की गई है। प्रतिवादी के द्वारा वादग्रस्त भूमि पर कृषि से अन्य कार्य किये जा रहे है जो स्पष्ट रूप से विधि विरूद्व है। अगर प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर कृषि एवं कृषि से संबंधित कार्य के अलावा अन्य आवासीय एवं वाणिज्यिक कार्य के रूप में प्रयोग करना था तो यह भूमि का कृषि से अकृषि अथवा भूमि आवासीय अथवा वाणिज्यिक करवाकर प्रयोग में ले सकता है परन्तु प्रतिवादी द्वारा राज्य सरकार को राजस्व की हानि पहुंचाने के उदेश्य से एवं स्वयं को लाभ पहुंचाने के उदेश्य से उपरोक्त वादग्रस्त रकबा की किस्म परिवर्तन करवाये बिना गैर कानूनी रूप से प्रयोग किया जा रहा है अतः वाद–वादी विरूद्व प्रतिवादी पेशकर निवेदन है कि वाद–वादी विरूद्व प्रतिवादी निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि चक 12 टीके तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 12 पं.नं. 206/300 के कि.नं. 13/2/0.127, 14 ता 17 की 1.012, 18/1/0. 126, 21 ता 25 की 1.265 कुल 2.530 है. नहरी भूमि की खातेदारी निरस्त कर सिवाय चक दर्ज करने एवं प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा वादी को सौपने के आदेश प्रदान किया जावें।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.03.05 12:07:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

वादी के द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बधित पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जितेन्द्र प्रसाद सोनी अधिवक्ता हाजिर होकर जवाब दावा मय भू संपरिर्वतन से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किया कि प्रतिवादीगण द्वारा उक्त विवादित भूमि के संबंध मे नगरपालिका रायसिंहनगर मे भू संपरिर्वन हेतु 10 प्रतिशत राशि हम प्रतिवादी द्वारा जमा करवा दी गई और हम हमारा भू संपरिर्वतन करवाना चाहते है जो हमारा विधिक अधिकार है और विधिक तरीके से हम भूमि का सपरिवर्तन करवा रहे है इस हेतु हमने नगरपालिका रायसिंहनगर मे राशि भी जमा करवा दी है यदि स्थगन आदेश जारी रहता है तो हमारा विधिक अधिकारो का हनन होगा। हमने कोई भी विधि विरूद्व कार्य नहीं किया है भू परिवर्तन नहीं होने के कारण वादी की बजाय हम प्रतिवादीगण को ज्यादा नुकसान हो रहा है इसलिए वादी का वाद पत्र खारिज किया जावे।

उक्त प्रकरण में नगरपालिका रायसिहनगर से इस न्यायालय के पत्र क्रमांक रीडर/2024/1188 दिनांक 27.12.2024 से उक्त प्रकरण में मौका एवं वर्तमान स्थिति से अवगत करवाने हेतु पत्र जारी किया गया। नगरपालिका रायसिंहनगर द्वारा अपने पत्र क्रमांकः न.पा.रा./2024-25/4832 दिनांक 20.01.2025 से अवगत करवाया है कि उक्त प्रकरण के प्रतिवादीगण द्वारा ऑनलाईन आवेदन सं. **LSGCLU90A/2024-25/102045 DATE 13-08-2025** से चक 12 टीके तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 12 पं.नं. 206/300 के कि.नं. 13/2/0.127, 14 ता 17 की 1.012, 18/1/0.126, 21 ता 25 की 1.265 कुल 2.530 है.भूमि का कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ भू. रूपान्तरण आवासीय प्रयोजनार्थ के लिये कृषि भूमि के उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन हेतु ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया है दस्तावेज पूर्ण नहीं होने पर ऑब्जेक्शन लगाकर आवेदक को पुनः आवेदन प्रेषित कर दिया गया। मौके पर उक्त कॉलोनी में इन्टर लॉकिंग सड़क का निर्माण किया हुआ है और विद्युत पोल लगाये हुए है और ट्री गार्ड सहित वृक्षरोपण किया हुआ है नगरपालिका द्वारा अवैध कॉलोनी वैधानिक चेतवानी बोर्ड दिनांक 07.11.2024 को लगाया गया है एवं प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 15.01.2025 को प्रार्थना पत्र के साथ उक्त प्रकरण के वाद ग्रस्त भूमि के संबंध में नगरपालिका रायसिंहनगर में आवेदन संख्या एल.एस.जी. सी.एल यू. 90ए/2024-25/101983 दिनांक 08.08.2024 से 278300/-रूपये मात्र की जमा का दस्तावेज पेश किया है जो शामिल मिसल किया गया।

बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177-209-[illegible] का0 अधि. सुनी गई। उभयपक्ष की बहस पर [illegible] किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। [illegible] उपलब्ध भूमि के भू0 रूपान्तरण करवाये जाने बाबत नगरपालिका रायसिंहनगर में संपरिवर्तन शुल्क जमा करवाये जाने के दस्तावेज से यह प्रतीत होता है कि संपरिवर्तन पत्रावली नगरपालिका रायसिंहनगर में पेश की जा चुकी है तथा संपरिवर्तन शुल्क की 10 प्रतिशत राशि 278300/- रूपये मात्र दिनांक 08.08.2024 को नगपालिका में जमा करवाये जा

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.03.05 12:07:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

चुके है जब तक प्रकरण धारा 177-209-92ए आरटीएक्ट के तहत कार्यवाही विचाराधीन होती है तब तक नगरपालिका द्वारा संपरिवर्तन नहीं किया जा सकता। धारा 177-209-92 ए का उद्देश्य काश्तकार को भूमि से बेदखल करना नहीं है अपितु बिना भूमि संपरिवर्तन करवाये एवं राजस्व जमा करवाये कृषि भूमि पर अकृषि कार्य को रोकना है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर जबकि भूमि संपरिवर्तन का प्रार्थना पत्र सक्षम प्राधिकारी नगरपालिका रायसिंहनगर के यहा लम्बित है इस भूमि को रकबा राज किया जाना कठोर कार्यवाही होगी।

अत: न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177-209-92 ए आरटीएक्ट इस शर्त के साथ खारिज किया जाता है कि अप्रार्थीगण चार माह के भीतर प्रश्नगत भूमि को सक्षम प्राधिकारी से संपरिवर्तित करवाकर आदेश की एक प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर के कार्यालय में प्रस्तुत करें। अन्यथा इस अवधि के पश्चात तहसीलदार रायसिंहनगर पुनः इस वाद पत्र/प्रार्थना पत्र को रिस्टोर करवाने हेतु स्वतंत्र रहेगा। तहसीलदार रायसिंहनगर को निर्देशित किया जाता है कि निर्णय दिनांक से चार माह पश्चात यदि अप्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा प्रश्नगत आराजी के भूमि रूपान्तरण संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाते है तो पुनः वाद पत्र को रिस्टोर करवाकर आगामी कार्यवाही करे।

उक्त विवेचन व शर्ताधीन वाद अन्तर्गत धारा 177-209-92 ए आरटीएक्ट खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख भण्डार जमा हो।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(सुभाष चन्द्र)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी (राज.) रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.03.05 12:07:27 IST
Reason: SelfAttested